



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243904  
CG-DL-E-24022023-243904

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023 फाल्गुन 5, 1944

No. 55]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023

सं. 58/2015-2020

विषय: व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के तहत प्रभावित अतिरिक्त आयात को कवर करने हेतु अतिरिक्त शुल्क को भरने के लिए एककालिक छूट प्रदान करने के संबंध में।

फा. सं. 18/79/एएम-21/पी-5.— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क उपयोग हेतु शुल्क को स्वीकार करने के संबंध में प्रक्रिया में एककालिक छूट प्रदान करते हैं:—

1. व्यापार करने में सुगमता हेतु ईओडीसी हेतु आवेदन करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क को भरने हेतु ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को अनुमति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 5.16 (क) को संशोधित करने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 03 दिनांक 13.04.2022 को जारी किया गया था।

2. व्यापार करने में सुगमता को सुविधाजनक बनाने हेतु ईओडीसी का आवेदन करते समय विदेश व्यापार नीति 2009-14 (31.03.2015 तक बढ़ाई गई) के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों हेतु प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क को भरने के लिए प्राधिकार पत्र धारक को अनुमत करने हेतु आरए को अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क प्राधिकार पत्र के बचाए गए मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति (2009-14) (दिनांक 31.03.2015 तक बढ़ाई गई) के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों में प्रयुक्त अतिरिक्त शुल्क को कवर करने हेतु एककालिक छूट प्रदान की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 24th February, 2023

**No. 58 /2015-2020**

**Subject:- One time relaxation for furnishing additional fee to cover excess imports affected under the Export Promotion Capital Goods Scheme to promote Ease of Doing Business – reg.**

**F. No. 18/79/AM-21/P-5.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes one time relaxation in procedure in respect of acceptance of fee for excess duty utilisation under the EPCG Scheme.

1. For Ease of Doing Business, Public Notice No. 03 dated 13.04.2022 was issued amending para 5.16(a) of HBP, 2015-20 to allow the EPCG authorization holder to furnish additional fee, to cover excess duty utilised, to RA concerned at the time of application for EODC.
2. To facilitate the Ease of Doing Business, it has been decided to permit the RAs to allow the authorisation holder to furnish additional fee to cover excess duty utilized for the EPCG authorizations issued under the FTP 2009-14 (extended upto 31.03.2015) also at the time of application of EODC subject to the condition that excess duty utilized was not more than 10% of duty saved value of the authorization.

**Effect of this Public Notice:** One time relaxation is granted in submission of additional fee to cover excess duty utilised in EPCG authorisations issued under Foreign Trade Policy (2009-14) (extended upto 31.03.2015).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-Officio Addl. Secy.